# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंम्भिक शिक्षा, चूरू

## आदेश

श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक– शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी–एफ/19626/भ.ना.व.मा./2015–16/22 दिनांक 03.07.15 के निर्देशानुसार एंव निरीक्षण दल की अनुशंषा पर सर्वोदय बाल निकेतन संस्थान, रतनगढ़ के स्थान पर नाम परिर्वतन "लॉयल पब्लिक स्कूल, रतनगढ़, तथा संस्था को हिन्दी माध्यम के स्थान पर उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक) तक अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एंव नियम 1993 तथा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान एंव मानदण्डों की पालना करनी होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू

क्रमांक–जिशिअ/प्राशि/चूरू/आरटीई/मूल मान्यता/2015–16/2268-69 दिनांक–29-9-2015
प्रतिलिपि–

1. ब्लॉक प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति– रतनगढ़।
2. संबंधित संस्था लॉयल पब्लिक स्कूल, रतनगढ़,।
3. कार्यालय पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, चूरू

## कार्यालय – आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः–शिविरा–मा/माध्य/अ–2/ 21313/2016–17 दिनांकः– 08.09.2016 के द्वारा निम्नांकित गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विधालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का अनुमोदन दिये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तो के तहत निर्देशानुसार मान्यता प्रदान की जाती है:–

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम–1993 की पालना करनी होगी ।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के मान्यता ;सम्बद्वता संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र ;प्रपत्र–क मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा ।
3. विधालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नही की जावेगी ।
4. विधालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।
5. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/ नियमों/ निर्देशो की पालना करनी होगी एवं वाछित सूचनाए/ अभिलेख उपलब्ध करवाने होगे।
6. कक्षा–1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम–2011 की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 व नियम–1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी ।
7. संस्था द्वारा प्रेषित अण्डर टेकिंग एवं शपथ पत्र में दी गई भैतिक एवं वित्तीय सूचनाओं में से यदि कोई सूचना भौतिक निरीक्षण के समय गलत पाई जावेगी तो संबंधित संस्था के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी अधिनियम–1989 एवं नियम–1993 के तहत यथोचित ;मान्यता समाप्तिद्व कार्यवाही कर प्रकरण श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर दिया जावेगा ।

| क्र.सं. | आवेदन संख्या | विधालय का नाम | माध्यम | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10318 | लॉयल पब्लिक स्कूल, रतनगढ (चूरू) | अंग्रेजी | कक्षा 09 के साथ 10 |

sd

जिला शिक्षा अधिकार
माध्यमिक चूरू

क्रमांकः–जिशिअ/माध्य/चूरू/संस्था–1/मान्यता/2016–17

दिनांकः–16.09.2016

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. श्रीमान सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर ।
3. श्रीमान सचिव महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर ।
4. श्रीमान उपनिदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, चूरू ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, चूरू ।
6. ब्लाक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी, पचांयत समिति.................................
7. संबंधित संस्था प्रधान.......................................................................
8. कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकार
माध्यमिक चूरू